

03/04/2019

वाहनी के प्रा. पत्र पर पत्रावली तलब होकर आज पेश हुई। वाहनी ने जरिये अधिनियम उपस्थित होकर प्रा. पत्र प्रस्तुत किया है कि पक्षकारान के मध्य राजीनाम हो गया है। ऐसे में वह इस वाद को आगे नहीं चलना चाहती, इसे विद्वो करना चाहती है।

अतः प्रा. पत्र प्राची / वाहनी स्वीकार किया जाकर वाद वाही विद्वो के अधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर तम्बर से कम हो तथा बाह तामील तकमील दारिजल दफतर हो।

उपसंह अधिकारी
आनपुर जिला इालावाह
(राजरथान)

Pr. गंगाधर
[Redacted]
[Signature]